प्रसार भारती में कर्मचारी वेतन में भारी कटौती के कगार पर

प्रसार भारती में कार्यरत 15000 से भी ज्यादा कर्मचारी सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय में कर्मचारी विरोधी रूख के कारण बहुत बड़ी कटौती के कगार पर हैं। इन कर्मचारियों को माननीय उच्चतम न्यायलय के फैसले के अनुसार दिनॉक 1.1.1978 से बड़े हुये वेतनमान दिये गये थे, पांचवे वेतन आयोग ने इन वेतनमानों को घटा दिया तथा जब कर्मचारी संगठनों ने विरोध करते हुये आंदोलन किया तब इन वेतनमानों को केन्द्रीय कैबिनेट की स्वीकृति से पुनः प्रदान कर दिया गया, ऐसा करते समय बड़ी चालाकी से 25.2.1999 के आदेश में **Upgraded Payscale** शब्द जोड़ दिया गया।

तत्पश्चात् सरकार ने जिन कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिली हैं वितीय लाभ देने के लिये **ACP** योजना की घोषणा की। इस योजना के अनुसार पदोन्नति न पाने वाले कर्मचारी को नौकरी में आने के 12 तथा 24 वर्ष पूरे होने पर दो वितीय बढ़ोतरी दी गई। सरकार ने इस योजना को उपरोक्त कर्मचारियों के लिए लागू करने से यह तर्क देकर मना किया कि पहले ही 25.2.1999 के आदेश के अनुसार वितीय लाभ दिया जा चुका है। जब विभाग ने कर्मचारियों की नहीं सुनी तो कर्मचारियों ने केन्द्रीय प्रशासनिक पंचाट **(CAT)** पटना में एक वाद दाखिल किया, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि **ACP** योजना 25.2.1999 के उपरोक्त वेतनमानों को नज़रअंदाज़ करते हुये दी जाये। सरकार ने अपना पक्ष उच्चतम न्यायलय तक रखा किन्तु सरकार हार गयी। कोई विकल्प न देखकर सरकार को इसको लागू करना पड़ा।

तत्पश्चात् छठे वेतन आयोग ने **ACP Scheme** को **Modify** किया तथा **MACP Scheme** की घोषणा की। यह स्वाभाविक था कि जब बड़े वेतनमान उच्चतम न्यायलय के निर्णय के अनुसार **ACP Scheme** नज़रअंदाज़ किये गये हैं तो **MACP Scheme** में भी नज़रअंदाज किये जाने चाहिए। प्रसार भारती ने कर्मचारियों के हित में यही तर्क सम्मत निर्णय लिया तथा प्रसार भारती बोर्ड की स्वीकृति के बाद **MACP Scheme** उपरोक्त वेतनमानों को नज़रअंदाज़ करते हुये लागू कर दी।

..... contd

सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय में कुछ नकारात्मक तत्वों ने कर्मचारी विरोधी निर्णय लिया तथा उन वेतनमानों को **Upgraded Scales** मानने का आदेश जारी कर दिया। उल्लेखनिय हैं **MACP Scheme** पहले ही लागू की जा चुकी है यदि वेतनमानों को **Upgraded** माना गया तो इससे 15000 से अधिक कर्मचारी प्रभावित होंगे तथा उनके वेतन में भारी कटौती होगी। दुखद है कि प्रतिमाह सेनानिवृत होने वाले कर्मचारियों से कटौती न करने के आदेश के बावजूद बड़ी कटौतियां की जा रही हैं।

जनवरी माह में कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे पर आंदोलन किया जो कि सूचना एंव प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल (रिटायर्ड) श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के आश्वासन पर अस्थायी रूप से स्थगित किया गया। इस विषय पर कर्मचारी संगठन प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जवाहर सिरकार एंव श्री सुरेश चन्द्र पाण्डा सदस्य (कार्मिक) से मिले, जिन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को माननीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री श्री अरूण जैटली के समक्ष ले जायेगें । कर्मचारी संगठन **ARTEE** के अध्यक्ष श्री उमेश चन्द्र शर्मा, **PSA** के अध्यक्ष श्री आर श्रीनिवासन एंव **ADPPP** के अध्यक्ष श्री उमेश मिश्रा जी ने कर्मचारियों की ओर से रोष व्यक्त करते हुये स्पष्ट किया कि कर्मचारियों से, 16 वर्ष पुराने एक आदेश के आधार पर बड़ी कटौतियां करना न केवल अन्यायपूर्ण है तथा यह माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेश एंव संविधान की भावना का उल्लघंन भी है इससे 15000 से अधिक कर्मचारी बुरी तरह प्रभावित होंगे तथा कर्मचारी संगठन कर्मचारियों को इससे बचाने के लिए सभी प्रकार के उपाय करने को प्रतिबद्ध हैं।

सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। कर्मचारी संगठन संसद सदस्यों से भी सर्म्पक कर रहे हैं जिससे कि मुद्दे को संसद के मानसून अधिवेशन में उठाया जा सके।

SANYUKTA SANGHASRH SAMITI

Association of Radio and TV Engg. Employees (ARTEE)

Programme Staff Association (PSA)

Association of Doordarshan Programme Production Personals (ADPPP)

EMPLOYEE UNITY ZINDABAD